

## लॉकर करार- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1). लॉकर करार क्या है?

उत्तर : किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय, बैंक ग्राहक के साथ विधिवत मुद्रांकित करार करता है.

प्रश्न 2). मॉडल लॉकर करार क्या है?

उत्तर : भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 18 अगस्त, 2021 दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को आईबीए द्वारा शुरू किए गए नए मॉडल लॉकर करार को अपनाने तथा दि. 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार को नवीनीकृत करना था। किंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दि. 23, जनवरी 2023 के संशोधित निर्देश के माध्यम से इस पर रोक लगा दी और आईबीए को मॉडल लॉकर करार को संशोधित करने की सलाह दी थी।

प्रश्न 3). नया लॉकर करार 2023 क्या है?

उत्तर : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आईबीए ने संशोधित मॉडल सुरक्षित जमा लॉकर करार (ए) मॉडल पूरक सुरक्षित जमा लॉकर करार और (बी) मॉडल संशोधित सुरक्षित जमा लॉकर करार उपलब्ध कराया है।

प्रश्न 2). पूरक लॉकर करार और संशोधित लॉकर करार के बीच क्या अंतर है?

उत्तर : (क) मॉडल अनुपूरक सुरक्षित जमा लॉकर करार ।

इसका उपयोग वहां किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती मॉडल लॉकर करार पर आधारित लॉकर करार पहले ही प्राप्त हो चुका है।

(ख) मॉडल संशोधित सुरक्षित जमा लॉकर करार

इसका उपयोग वहां किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती मॉडल लॉकर करार पर आधारित लॉकर करार प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न 3). नए लॉकर करार निष्पादन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर : आरबीआई ने संशोधित लॉकर करार को निष्पादित करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा निर्धारित की है।

**प्रश्न 4). लॉकर करार के लिए कितनी स्टांप शुल्क आवश्यक है?**

उत्तर : करार के लिए आवश्यक स्टांप शुल्क संबंधित राज्य के अनुसार लागू होगा। कृपया विभिन्न राज्यों में वर्तमान में लागू स्टांप शुल्क के विवरण के लिए अनुबंध देखें।

**प्रश्न 5). लॉकर करार पर स्टांप शुल्क का भुगतान किसे करना है?**

उत्तर : पूरक करार को निष्पादित करते समय बैंक स्टांप पेपर की लागत वहन करेंगे। अन्य मामलों में, स्टांप पेपर की लागत ग्राहकों द्वारा वहन की जाएगी।

**प्रश्न 6.) क्या नए लॉकर करार के लिए स्टांप पेपर आवश्यक है?**

उत्तर : भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्टांप शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।

एक करार स्टांप पेपर का उपयोग दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौते के नियमों और शर्तों को अभिलेखित करने के लिए किया जाता है।

**प्रश्न 7). क्या लॉकर नामांकन अनिवार्य है?**

उत्तर : लॉकर के एकल/ संयुक्त किराएदार के मामले में, नामांकन केवल एक ही व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है।

**प्रश्न 8). क्या कोई नामांकित व्यक्ति लॉकर संचालित कर सकता है?**

उत्तर : लॉकर धारक की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति लॉकर की सामग्री पर दावा कर सकता है।

एक बार संतुष्ट होने पर, बैंक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में दावे का निपटान करेगा।

**प्रश्न 9). यदि ग्राहक शाखा में जाता है, तो लॉकर करार के निष्पादन में कितना समय लगेगा।**

उत्तर : अधिकतम 15-20 मिनट.

**अनुबंध: विभिन्न राज्यों में वर्तमान में लागू स्टांप शुल्क।**

क्रमांक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र का संबंधित अंचल	राज्य का नाम	राज्य स्टांप अधिनियम की संबद्ध धारा	करार के लिए स्टांप शुल्क की राशि (रुपये में)
1	अहमदाबाद, सूरत	गुजरात	अनुच्छेद 5 (एच)	300
2	बैंगलुरु, हुबली	कर्नाटक	अनुच्छेद 5(जे)	200
3	भुवनेश्वर	ओडिशा	अनुच्छेद 5 - सी	10
4	चंडीगढ़	हरियाणा	अनुच्छेद 5 - सी	100
5	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	अनुच्छेद 5	50
6	चेन्नई	तमिलनाडु	अनुच्छेद 5(जे)	20
7	दिल्ली	दिल्ली	अनुच्छेद 5 - सी	50
8	एर्नाकुलम	केरल	अनुच्छेद 5(जी)	200
9	गोवा	गोवा	अनुच्छेद 5(डी)	1000
10	गुवाहाटी	असम	अनुच्छेद 5 - सी	100
11	हैदराबाद	तेलंगाना	अनुच्छेद 6- सी	200
12	इंदौर, भोपाल, जबलपुर	मध्य प्रदेश	अनुच्छेद 6(एच)	500
13	जयपुर	राजस्थान	अनुच्छेद 5 (डी)	500
14	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	अनुच्छेद 5-ई	10 (व्यवहार में रु. 100/-)
15	लखनऊ	उत्तार प्रदेश	अनुच्छेद 5 - सी	100
16	लुधियाना	जम्मू व कश्मीर	अनुच्छेद 5 - सी	100
17	लुधियाना	पंजाब	अनुच्छेद 5 (डी)	100
18	महाराष्ट्र क्षेत्र (18)	महाराष्ट्र	अनुच्छेद 5 (एच)(बी)	100
19	पटना	बिहार	अनुच्छेद 5 - सी	1000
20	पटना, रांची	झारखण्ड	अनुच्छेद 5	3.5 (व्यवहार में रु. 100/-)
21	रायपुर	छत्तीसगढ़	अनुच्छेद 5 (बी)	50
22	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	अनुच्छेद 6 - सी	100